मोतिहारी के हनुमान चीनी मिल के मजदूरों की समस्याओं और उनपर चल रहे पुलिस और प्रशासन के आतंक पर की गई जन-सुनवाई से संबंधित रिपोर्ट।

जन-सुनवाई की तिथि: 25 अप्रैल से 1 मई 2017 तक घर-घर जा कर। 2 मई को सामूहिक रूप से एक स्थल पर।

सामूहिक जन सुनवाई का स्थान : चीनी मिल के मुख्य द्वार पर हनुमान मंदिर-परिसर, मोतिहारी में।

जन-सुनवाई करने वाली टीम : स्वामी अग्निवेश, वरीय गांधीवादी विचारक और पूर्व सांसद डॉ राम जी सिह, भारतीय सुराज दल के अध्यक्ष एवं पूर्व आइ पी एस (भू पू-ए डी जी पी) श्री पी के सिद्धार्थ, सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनोहर मानव, प्रो. शकील अहमद अत्ता।

किनकी बात सुनी गयी: चीनी मिल के सेवानिवृत्त मजदूर, वर्तमान में बेकार बैठे स्थाई और अस्थाई मजदूर, सामान्य जनता, एस पी, डी एम, डी आई जी, आई जी, मजदूर यूनियन के पूर्व अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता। (मिल मालिकों से सम्पर्क नहीं हो सका।)

जन सुनवाई का उद्देश्य : महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के प्रारंभ में इसी क्षेत्र में व्याप्त चीनी मिल मालिक-भूमाफिया-शासन-प्रशासन के नापाक गठजोड़ का तथा हजारों किसान-मजदूरों के निर्मम शोषण के दुष्चक्र का दो बेहद ईमानदार तथा बहादुर मजदूर नेताओं (श्री नरेश श्रीवास्तव तथा श्री सूरज बैठा) की अप्रतिम शहादत से हुए भंडाफोड़ की सत्यतापूर्ण जांच एवं समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के लिए.

जन-सुनवाई की पद्धति : घर-घर जा कर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू - व्यक्तिगत और सामूहिक; एक स्थल पर बुला कर क्वेस्चनेयर के माध्यम से सबों के सामने स्ट्रक्चर्ड व्यक्तिगत इंटरव्यू।

सुनवाई से सामने आई समस्याएं :

- 1) 15-17 वर्षों से मिल मजदूरों को वेतन का भुगतान नहीं, जिसके कारण वे भुखमरी के कगार पर।
- 2) मजदूरों की प्रोविडेंट फंड की राशि का भी भुगतान लंबित; राशि का मिल मालिक द्वारा गबन।
- 3) 7000 गन्ना किसानों का भुगतान भी मिल मालिक द्वारा नहीं किया जा रहा।
- 4) मजदूरों और किसानों की देय राशि 80 करोड़ से भी ज्यादा।

5) कलकत्ता के बिमल कुमार नोपानी के स्वामित्व वाला यह मोतिहारी-स्थित चीनी मिल 2000 से ही प्रायः बंद। बीच-बीच मे कुछ दिन चल कर फिर बंद। दूसरी ओर इनके पुल चंद्रशेखर नोपानी द्वारा उत्तर बिहार में चलाई जा रही चीनी मिलें प्रायः सुचारु रूप से चल रहीं। इसलिए मोतिहारी स्थित इस चीनी मिल के बंद होने का कथित रूप से मुख्य कारण है बिमल नोपानी द्वारा रुचि नहीं लिया जाना और उनका बुरा प्रबंधन।

6) बकाया वेतन और पी एफ का भुगतान नहीं होने के कारण, और सरकार तथा प्रशासन की उदासीनता के कारण दो मजदूरों नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने प्रशासन और मुख्यमंत्री आदि को २२ मार्च को आत्मदाह की अग्रिम नोटिस दे कर १० अप्रैल को मिल गेट के सामने सरेआम दिन-दहाड़े आत्मदाह कर लिया। बाद में पटना पी एम सी एच में 11 अप्रैल को नरेश श्रीवास्तव की और 19 अप्रैल को सूरज बैठा की मृत्यु हो गयी।

7) प्रशासन और पुलिस ने आत्मदाह के अल्टीमेटम के बावजूद धरना-स्थल पर पुलिस-बल, मस्जिस्ट्रेट आदि की नियुक्ति नहीं की, एम्बुलेंस और फायर टेंडर प्रतिनियुक्त नहीं किया जो करने से आत्म-दाहियों की जान बचायी जा सकती थी। आत्मदाह होने के आधे-एक घंटे बाद वहां पुलिस पहुंची।

8) समय पर कार्रवाई की गई होती तो आत्म-दाह के प्रयास को विफल किया जा सकता था।

9) डी एम और एस पी के कार्यालय में आत्मदाह की नोटिस रिसीव कराई गई थी, इसके प्रमाण हैं। लेकिन डी एम और एस पी के अनुसार ऐसी कोई नोटिस उनके संज्ञान में नहीं लायी गयी। फिर भी, एस पी को इसका पता 9 अप्रैल को 3.30 में एक व्हाट्स ऐप में सरसरी निगाह फेरते हुए चला। 9 तारीख को 12 बजे रात के बाद किसी भी समय आत्मदाह करने की बात थी। अतः एस पी श्री जितेंद्र राणा ने 3.35 पर इस खबर को थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया। यह प्रमाण एस पी ने जन-सुनवाई टीम के एक सदस्य को अपने मोबाइल पर दिखलाया। मगर थाने ने धरना-स्थल पर पुलिस बल और मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने-करवाने की कार्रवाई क्यों नहीं की यह अत्यंत गंभीर षड्यंत का संदेह उत्पन्न करता है।

10. यह बात सुनवाई टीम को कई स्रोतों से पता चली कि मोतिहारी में भू-माफिया बहुत मजबूत है, और अफसर तथा राजनीतिज्ञ सभी उनकी मुठ्ठी में रहते हैं, 'पे-रोल' पर रहते हैं। शहर के बिल्कुल करीब पूर्व बेतिया राज, मिल मालिक एवं पट्टादारों की हज़ार एकड़ से भी अधिक जमीन है जिसकी औसत कीमत, स्वयं डी एम के अनुसार 10 करोड़ प्रति एकड़ है। अर्थात भू माफिया के लिए सैकड़ों-हज़ारों करोड़ का खेल मोतिहारी में चलता है। इन सैकड़ों हज़ारों करोड़ के हिस्सेदारों में जनता के अनुसार पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता आदि सभी हैं। नरेश श्रीवास्तव मिल मालिकों के हाथों नहीं बिका, और भू माफिया के खिलाफ लगातार सक्रिय रहा। जहाँ भी विवादित जमीन पर गैरक़ानूनी जमीन हस्तांतरण के बाद ईंट गिरती थी, वह तुरंत प्रशासन के पास दौड़ता था, और निर्माण रुकवाता था। स्वयं डी एम ने इसकी पुष्टि की। 11. ऐसे में नरेश का आत्मदाह सफल हो इसमें भू माफिया का फायदा स्पष्ट था। संभव है, पुलिस और मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं होने में भू-माफिया की भूमिका हो, ताकि नरेश आत्मदाह करे तो उसके बचाए जाने की संभावना नहीं रहे। यह गंभीर जांच का विषय है।

12. पुलिस आत्मदाह की घटना के बाद पहुंची, नोटिस के बावजूद पहले से उपस्थित नहीं रही, इसलिए न केवल धरना -स्थल पर मौजूद मजदूरों में आक्रोश पैदा हुआ बल्कि सामान्य जनता और वहां उपस्थित युवाओं में भी, जो स्वयं मजदूर नहीं थे, मगर जो मजदूरों से सहानुभूति रखते थे। इसलिए पुलिस पर उत्तेजित भीड़ ने मामूली पथराव किया।

13. इस मामूली पथराव के जवाब में पुलिस ने लाठी, आंसू गैस और गोलियां भी चलाईं, और सिर्फ हवा में गोलियां नहीं चलाईं। एक मजदूर को गोली भी लगी। फिर पुलिस ने मजदूरों के टोले में जा कर घरों में मजदूरों के परिवारों से मारपीट की, और औरतों तक को नहीं बख्शा। घर के अन्दर घुस-घुस कर परिवार-जनों की मार-पीट का कृत्य कानून की किस धारा में अधिकृत है यह अधिकारी बताने में असमर्थ रहे।

14. जब आत्मदाह हो गया और समय पर नियमोचित निरोधात्मक करवाई नहीं करने के कारण प्रशासन सकते में आ गया तो कवर-अप की तैयारी शुरू हो गयी और कागज पर बैक-डेट में मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई, और सी ओ पर दबाव बना कर उन्हें बैक डेट में चिठ्ठी की पावती देने को बाध्य किया गया। घटनास्थल पर पुलिस और मैजिस्ट्रेट को कागज़ में उपस्थित दिखाया गया, जिसको सारे गवाहों ने खारिज कर दिया है। नकली दस्तावेजों को बनाना एक आपराधिक कृत्य है। अतः इसकी भी निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

15. आत्मदाह के बाद मजदूर- आंदोलन उग्र न हो और प्रशासन की विफलता को उजागर करने के लिए गवाही देने सामने न आये, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने मजदूरों को और मजदूर यूनियन के नेता हरकित बैठा को आतंकित करना शुरू किया जो प्रयास अभी तक जारी है। यहां तक कि 24 अप्रैल से 1 मई तक जन सुनवाई मंडल के सदस्य श्री पी के सिद्धार्थ के समक्ष मुंह न खोलने, और तत्पश्चात स्वामी अग्निवेश की अगुआई में 2 मई को मिल-गेट पर जन सुनवाई में भाग नहीं लेने के लिए मजदूरों के घर-घर जा कर पुलिस ने मजदूरों को धमकाया। चूंकि कई मजदूर नेताओं को प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया गया है, और 200 'अज्ञात' लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है, इसलिए जो 'सहयोग' नहीं करेगा, उसे आपराधिक केस में गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। इसीलिए 2 मई की जन-सुनवाई में मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हरकित बैठा बीमारी का बहाना बना कर नहीं आया। उसने मजदूरों को भी आने में प्रेरित करने में कोई भूमिका नहीं निभाई। जो मजदूर आये वे अपनी मर्जी से आये।

16. मजदूरों के बकाये के भुगतान के लिए कई बार प्रयास हुए. एक महत्त्वपूर्ण प्रयास २०१५ में हुआ जब मजदूरों, मिल मालिक और प्रशासन के बीच एक लिपक्षीय समझौते के अनुसार मिल के निष्प्रयोज्य कबाड़ को किश्तों में बेच कर मजदूरों का बकाया चुकाने की बात थी और प्रशासन को यह दायित्व दिया गया था कि वह इस समझौते के अनुपालन को सुनिश्चित करे. मगर इस समझौते का भी अनुपालन नहीं कराया जा सका. यह प्रशासन पर मिल मालिक के दबाव के करण हुआ, ऐसा मजदूरों का मानना है. इस समझौते का अनुपालन नहीं होना इस आत्मदाह के तात्कालिक कारणों में रहा, और मजदूर इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं. प्रशासन की इस उपेक्षा और गैर -जवाबदेही की उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए, और यह जाँच अगर पुनः प्रशासनिक अधिकारियों से करायी जाती है तो वह सत्य को बाहर लाने में असफल रहेगी, अतः इसकी जाँच किसी उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त जज से कराई जाए. अथवा मामले को सी बी आई को अग्रसारित करते हुए टर्म ऑफ़ रेफरेंस में इस पहलू को भी शामिल किया जाये. ०२.०६.२०१५ को हुए लिपक्षीय समझौते से सम्बंधित कुछ कागजात आपके अवलोकनार्थ संलग्न है.

17. यह बताया जा रहा है की आत्मदाह के मामले में मरने वालों के साथी मजदूरों पर ही उन्हें आत्मदाह के लिए उकसाने और जला कर मार डालने का आरोप लगाया गया है, जब की मरने के पूर्व के अपने विडियो में दोनों मृतकों ने यह स्वयं कहा है कि उन्हें किसी ने नहीं उकसाया, और उन्होंने यह आत्मदाह करने कोशिश अपनी इच्छा से की. विडियो यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध है, और जोनल आई जी को उपलब्ध करा दी गयी है. इस प्रकार निर्दोष मजदूरों को आरोपी बनाने से मजदूर अत्यंत आतंकित हैं. हमारी जाँच में भी मजदूरों ने यही कहा कि आग किसी और ने नहीं लगायी. आग लगने के बाद नरेश श्रीवास्तव ने 'इन्कलाब जिदाबाद' के नारे भी लगाये. कोई और आग लगाता तो वह ऐसे क्रांतिकारी नारे नहीं लगाता.

18. उधर पी एम् सी एच में नरेश श्रीवास्तव की मृत्यु अगले ही दिन 11 अप्रैल को हो गयी, मगर सुरेश बैठा बेहतर होने लगे. 15 अप्रैल को उनका बयान मनोहर मानव और प्रो. शकील अहमद अत्ता ने मोबाइल पर विडियो में रेकोर्ड किया, जिसमें श्री बैठा खड़े हो कर सशक्त तरीके से लम्बी बातें करते हुए देखे जा सकते हैं. वे लगातार बेहतर हो रहे थे. फिर सहसा उनकी हालत बिगड़ने लगी, और उनकी पत्नी के अनुसार उनकी मौत अप्रत्याशित तौर पर 19 अप्रैल हो गयी. मजदूरों के मन में यह गंभीर सदेह उत्पन्न करता है कि भू-माफिया ने डाक्टरों के माध्यम से कुछ ऐसा तो नहीं कराया की श्री बैठा की मृत्यु हो गयी! इस पहलू को देखने के लिए भी सी बी आई जाँच की जरूरत है.

19. पूरी जन-सुनवाई और तफशीश के बाद पाँच-सदस्यीय कमिटी सरकार से निम्नलिखित अनुशंसाएं करती है -

- स्थानीय प्रशासन ने आत्मदाह से जुड़े घटनाचक्र की पूरी सत्यता से मुख्यमंत्री को जानबूझकर न केवल अनभिज्ञ रखा अपितु उन्हें सरासर गलत सूचना देकर गंभीर अपराध किया । अपने स्तर पर दोनों मजदूरों का समय रहते मृत्यु-पूर्व धारा 164 में बयान दर्ज न करना इसकी पुष्टि करता है। इस दिशा में स्वयं मुख्यमंत्री अविलंब निष्पक्ष जांच करवा कर कठोर कार्यवाही करें ।
- II. जो दो आपराधिक मामले पुलिस द्वारा इस घटना के इर्द-गिर्द दर्ज किए गए हैं, उनका अनुसंधान सी. बी. आई. से कराया जाए क्योंकि मजदूर नेताओं के आत्मदाह के मामले में भू-माफिया की अप्रत्यक्ष भागीदारी षड्यंतकारी के तौर पर (पुलिस और प्रशासन के 'प्रिवेंटिव' कार्रवाई को रुकवाना) सामने आ रही है, और इस भू-माफिया के 'पे-रोल' पर पुलिस, प्रशासन और राजनीति के प्रायः सभी स्तरों के लोग शामिल हैं। इसलिए स्थानीय अनुसंधान एजेंसियों पर निर्भर करने से न्याय मिलना कठिन होगा।
- III. घटना के उपरांत जो पुलिस ने आतंक मचा रखा है उसके पीछे एस पी श्री जीतेन्द्र राणा की स्पष्ट व्यक्तिगत भूमिका जनता के माध्यम से उभर कर सामने आई है. नियमानुकूल पुलिस बल समय पर नियुक्त न कर जो लापरवाही बरती गयी वह भी एक गंभीर मामला है. अतः उन्हें तत्काल स्थानांतरित कर उनपर विभागीय

कार्रवाई की जाए. तभी मजदूरों को पुलिस आतंक से मुक्ति मिलेगी और जनता का विश्वास फिर से बहाल होगा. छतौनी थाना के थाना-प्रभारी को तथा सदर डी एस पी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाए.

- IV. मजदूरों और किसानों के बकाये का भुगतान समयबद्ध तरीके से कराने की व्यवस्था तत्काल की जाए.
- V. दोनों मृतकों के परिवारों को कम-से-कम पचास-पचास लाख का मुआवजा दिया जाए, और उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए. उनकी पत्नियों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए.
- VI. चीनी मिल के चलने से मिल के मजदूरों के अलावा जिले के 7000 किसानों को राहत मिलेगी. इसलिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जाये – क) मिल को बिहार सरकार अधिगृहीत कर ले और खुद चलाये;
 ख) महात्मा गाँधी के तरसती शिप के आधार पर किसान-श्रमिक-सरकार की सहभागिता से संचालित हो.
- VII. मिल मालिक बिमल नोपानी के लिए कई बार वारंट ऑफ़ अरेस्ट निकले यह बताया गया है, मगर गिरफ्तारी एक बार भी नहीं हुई. फिर से उनके लिए वारंट निकाला गया है मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई. प्रशासन ने बताया कि वे फरार हैं. अगर ऐसा है तो अविलम्ब उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती होनी चाहिए.
- VIII. एक कमिश्नर-स्तर के अधिकारी को 2 महीने के लिए मोतिहारी में प्रतिनियुक्त किया जाय जो मजदूरों और किसानों के बकाये के पूरे मुद्दे का गंभीर अध्ययन कर कोई ऐसा समाधान निकालें की कुछ जमीन आदि बेच कर या कबाड़ बेच कर पूरे बकाये का भुगतान तुरंत किया जा सके. ध्यान रहे कि अगर 20 एकड़ निर्विवाद जमीन भी बेचने योग्य निकल आती है और बेच दी जाती है तो उसी से 200 करोड़ रुपये निकल आयेंगे जब कि मजदूरों और किसानों का बकाया 80 करोड़ के आस-पास है. लेकिन यह जरूरी है कि किसानों मजदूरों के बकाये को सूद के साथ वापस दिया जाए. इसलिए जमीन बेच कर अधिक रुपये निकालना उचित होगा.

आशा है की सरकार उपर्युक्त प्रस्तावों पर उचित करवाई एक महीने के अन्दर ही कर लेगी और हमें सूचित रखने का कष्ट करेगी.

साग्रह,

स्वामी अग्निवेश

डॉ रामजी सिह

पी के सिद्धार्थ

मनोहर मानव शकील

शकील अहमद अत्ता

संपर्क के लिए ई-मेल :